

**भारतीय रिज़र्व बैंक**
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

24 मई 2023

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल - अवधि बढ़ाना**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश सं.CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23 द्वारा थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को 23 अगस्त 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार 23 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON/D-77/12.16.051/2022-23 द्वारा तीन माह की अवधि के लिए 23 मई 2023 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई 2023 के निदेश DOR.MON/D-25/12.16.051/2023-24 द्वारा निदेश दिया है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरल को जारी दिनांक 23 अगस्त 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S3361/12.07.005/2022-23, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार 23 मई 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 24 मई 2023 से 23 अगस्त 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/275